

न्यायालय— द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद

(समक्ष : पी०सी०आर्य)

प्रकरण क्रमांक: 12बी०/2014ई०दी०

संस्थापन दिनांक 03/12/2008

फाईलिंग नंबर-230303000052008

भूरा उर्फ भूरेसिंह पुत्र बच्चूसिंह आयु 22 साल  
जाति सिसौदिया निवासी ग्राम बक्शीपुरा  
थाना रिठौरा जिला मुरैना (म०प्र०)

.....वादी

वि रु द्ध

1. प्रबंध संचालक एम०डी०  
कैडवरी फैक्ट्री औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर  
जिला भिण्ड म०प्र०
2. म०प्र० औद्योगिक (ए०के०व्ही०एन०)  
विकास निगम मालनपुर जिला भिण्ड  
(म०प्र०)

.....प्रतिवादी

---

वादी द्वारा श्री मुंशी सिंह यादव अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा श्री आर०सी० गुप्ता अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 02 द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।

---

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 22 अक्टूबर 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. वादी की ओर से प्रस्तुत वाद मूलतः प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरुद्ध नियोजन के दौरान कथित दुर्घटना में आई स्थाई निशक्ता के आधार पर उपचार में व्यय राशि और क्षतिपूर्ति राशि सहित कुल मिलाकर 4,25,000/-रुपये मय ब्याज के वसूली की आज्ञप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है, कि प्रतिवादी क्रमांक 01 की औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में कैडवरी इंडिया लिमिटेड के नाम से चॉकलेट फैक्ट्री संस्थापित है और प्रतिवादी क्रमांक 02 उक्त मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र के लिए शासकीय उपक्रम है।
3. वादी का वाद सारतः इस प्रकार का है, कि वह ग्राम

बक्शीपुरा थाना रिठौरा जिला मुरैना मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होकर भूमि हीन निर्धन व्यक्ति है, तथा वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, उसके परिवार में अन्य कोई भरण पोषण के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है, प्रतिवादी क्रमांक 01 की मालनपुर स्थित इकाई में चॉकलेट फैक्ट्री है, वह जनवरी 2008 से श्रमिक के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 01 की उक्त फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए जाता था और उसे प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा 80/-रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 2400/-रुपये मासिक पारिश्रमिक दिया जाता था, तथा वह पूरी लगन मेहनत और ईमानदारी से अपना कार्य करता था, तथा तीनों सिफ्टों में उसके द्वारा कार्य किया गया, रोजाना की भांति दिनांक 01/04/08 को भी वह सुबह 09 से 05 बजे की पाली में ड्यूटी के लिए फैक्ट्री के अंदर गया था और अपना काम दिव्यधारा (वेस्टेजमाल) के डिस्पोजल कर रहा था, डिस्पोजल करने वाली मशीन खराब हालत में थी, जिसकी जानकारी उसे नहीं थी, और प्रतिवादी क्रमांक 01 के अधीनस्थ कर्मचारियों ने खराब मशीन होने के बावजूद उसे कार्य पर लगाया, उसके अलावा अन्य श्रमिक पप्पूसिंह ने भी उपस्थित प्रबंधक को मशीन खराब होने की शिकायत की थी, जिस पर प्रबंधक द्वारा उनसे यह कहा गया था, कि वह खडा है और आप लोग काम करो देख रेख की जिम्मेदारी उसकी है, फिर उन्होंने दिव्यधारा का काम प्रारंभ किया, कुछ देर बाद ही मशीन का संतुलन बिगड़ गया और उसका दाहिना हाथ मशीन की चपेट में आ जाने से उसका हाथ कुचल गया और सभी हड्डियां टूट गईं हाथ खून से लथपत हो गया चिल्लाने पर उपस्थित प्रबंधक ने मशीन को बंद करके उसे पीछे की तरफ खींचा, जिससे उसके दाहिना हाथ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे वह पूरी तरह से स्थाई रूप से विकलांग हो गया था, फिर उसे फैक्ट्री की गाड़ी से इलाज के लिए बिरला अस्पताल ग्वालियर ले जाया गया था, जहां वह दिनांक 09/04/08 तक भर्ती रहा, वहां से डिस्चार्ज होने के बाद प्रतिवादी क्रमांक 01 ने पूरा इलाज कराने और क्षतिपूर्ति दिलवाने तथा हाथ ठीक हो जाने पर पुनः नौकरी पर रखे जाने का आश्वासन दिया था, जिस पर वह विश्वास करता रहा, किंतु ना तो क्षतिपूर्ति दी, ना इलाज कराया और ना कार्य पर रखा।

4. यह अभिवचन भी किया है, कि ठीक हो जाने के बाद जब वह प्रतिवादी क्रमांक 01 की फैक्ट्री में गया और प्रबंधक से मिला तो उसे वह झूठा आश्वासन देता रहा, और वह परेशान होता रहा, फिर उसने अभिभाषक के माध्यम से नोटिस भेजा जिसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। उसका परिवार भूखों मारने की स्थिति में है, उसके इलाज में करीब 25,000/-रुपये खर्च हुए थे, नोटिस का जबाब ना देने पर इलाज में व्यय की गई राशि 25,000/-रुपये और स्थाई विकलांगता के लिए क्षतिपूर्ति राशि 1,00,000/-रुपये और जीवन पर्यन्त उदर पूर्ति के लिए 3,00,000/-रुपये कुल मिलाकर 4,25,000/-रुपये एवं ब्याज दिलाए जाने हेतु दुर्घटना दिनांक से उत्पन्न वादकारण के आधार पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त वाद प्रस्तुत किया है।

5. प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से वादोत्तर प्रस्तुत कर वादी के मूल अभिवचनों का प्रत्याख्यान करते हुए, लेख किया है, कि वादी ने

उनकी फैक्ट्री में कभी भी काम नहीं किया, ना ही जनवरी 2008 से श्रमिक के रूप में कार्यरत था। वादी और उनके मध्य कभी भी नियोक्ता और श्रमिक के संबंध नहीं रहे, ना ही उनके द्वारा वादी को कोई वेतन या पारिश्रमिक कभी दिया गया है, ना ही दिनांक 01/04/2008 को सुबह 09:00 बजे से 05:00 बजे की अवधि में वादी ने दिव्यधारा (डिस्पोजल माल) का कोई डिस्पोजल किया, डिस्पोजल मशीन खराब होना, प्रबंधक को बताया जाना, अन्य श्रमिक पप्पूसिंह द्वारा शिकायत किया जाना और मशीन का संतुलन बिगड़ जाने से दाहिना हाथ उसकी चपेट में आकर पूर्णतः क्षतिग्रस्त होकर स्थाई विकलांगता आना, उनके द्वारा विरला अस्पताल में भर्ती कराया जाना, इलाज कराए जाने या कोई क्षतिपूर्ति दिए जाने अथवा नौकरी दिए जाने के आश्वासन के अभिवचन कपोल कल्पित, असत्य और भ्रमक बताते हुए यह लेख किया है, कि वादी ने अपने आधारों के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, इलाज का कोई ब्योरा तथा प्रमाण भी नहीं दिया है, वादी निर्धन व्यक्ति नहीं है, उसे कोई वादकारण भी उत्पन्न नहीं हुआ है, और उसके विरुद्ध झूठा वाद पेश किया है, तथा वाद डिफेक्टिव भी है इसलिए वाद सव्यय निरस्त किया जाये।

6. प्रतिवादी क्रमांक 02 की ओर से प्रथक से वादोत्तर प्रस्तुत कर वादी के अभिवचनों से उनका कोई संबंध व सरोकार ना होना और उन्हें अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाए जाने की आपत्ति लेते हुए उसे प्रकरण से हटाए जाने का अभिवचन किया है। उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न की रचना संशोधित अभिवचनों के आधार पर अतिरिक्त वादप्रश्न की रचना की गई थी, अतिरिक्त वादप्रश्न क्रमांक 08 का पूर्व में ही दिनांक 06 सितम्बर 2016 को निराकरण किया जाकर वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पाया जाकर विचारण किया गया है और निर्मित किए गए वादप्रश्नों पर निकाले गए निष्कर्ष निम्नानुसार है

#### वादप्रश्न

#### निष्कर्ष

1	क्या वादी प्रतिवादी क्रमांक 01 की मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित इकाई में श्रमिक के रूप में जनवरी 2008 से कार्यरत रहा है ?	
2	क्या वादी ने प्रतिवादी क्र-01 की उक्त फैक्ट्री में नियमित रूप से तीनों शिफ्टों में प्रबंधक के आदेशानुसार श्रमिक का कार्य मजदूरी पर किया था ?	
3ए	क्या दिनांक 01/04/2008 को सुबह 9 बजे से सायं 05 बजे के शिफ्ट के दौरान वादी द्वारा प्रतिवादी क्रं0-01 की उक्त फैक्ट्री में प्रबंधकों के आदेश पर दिव्यधारा (बेस्टेजमाल) का डिस्पोजल किया था ?	

3बी	यदि हां तो क्या वादी द्वारा मशीन खराब होने के बावजूद कार्य किया और मशीन का संतुलन बिगड़ जाने के कारण वादी का दाहिना हाथ मशीन की चपेट में आ जाने से उसका दाहिना हाथ क्षतिग्रस्त होकर वह स्थाई रूप से विकलांग हो गया ?	
4	क्या प्रतिवादी क्रं0-1 फैक्ट्री के प्रबंधकों द्वारा वादी को उसके पूरे इलाज का व्यय एवं विकलांग होने से क्षतिपूर्ति करने एवं पुनः स्वस्थ हो जाने पर फैक्ट्री में कार्य पर रख लेने का आश्वासन देने के बावजूद वचन भंग किया, यदि हां तो प्रभाव ?	
05	क्या वादी प्रतिवादीगण से दुर्घटना दिनांक 01/04/2008 में जीवन पर्यन्त उदरपूर्ति हेतु 03 लाख रुपये इलाज में खर्च हुए 25 हजार रुपये, एवं स्थाई विकलांगता के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में 01 लाख रुपये कुल 04 लाख 25 हजार रुपये का प्रथमतः या संयुक्ततः प्राप्त करने का अधिकारी है ?	
06	क्या प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-02 को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाकर पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष उत्पन्न किया है।	
07	अन्य सहायता एवं व्यय ?	
08	क्या वादी का वाद विधि द्वारा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से वर्जित है ?	निर्णय आदेश दिनांक 06 सितम्बर 2016 अनुसार प्रचलन योग्य

### सकारण निष्कर्ष

#### वादप्रश्न क्रमांक-06 का निराकरण

7. इस संबंध में अभिलेख पर वादी की ओर से स्वयं वादी भूरा उर्फ भूरेसिंह वा0सा0-01 का ही मौखिक परीक्षण कराया गया है अन्य किसी भी साक्षी को वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही प्रतिवादीगण की ओर से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है। वादी भूरा उर्फ भूरे सिंह वा0सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में प्रतिवादी क्रमांक 02 को आवश्यक पक्षकार बनाए जाने के संबंध में मुख्य परीक्षण में कोई भी आधार नहीं बताया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा-12 में केवल यह कहा है, कि मजदूर होने के नाते उसे पक्षकार बनाया गया है।
8. इस संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक तर्कों में भी प्रतिवादी क्रमांक 02 को औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर के औद्योगिक क्षेत्र विकास का निगम होने के कारण उसे पक्षकार बनाए जाने संबंधी स्पष्टीकरण दिया है, जबकि इस संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 02 के विद्वान



अधिवक्ता द्वारा अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाए जाने से विशेष हर्जा वादी पर लगाए जाने की मांग की गई है।

9. आदेश-01 नियम-03 सी0पी0सी0 1908 के प्रावधान मुताबिक प्रतिवादियों के रूप में कौन संयोजित हो सकते हैं, इस बाबत स्पष्ट प्रावधान दिया गया है, जिसमें यह उपबंधित है, कि वे सभी व्यक्ति प्रतिवादियों के रूप में एक वाद में संयोजित किए जा सकेंगे-

(क) एक ही कार्य या संव्यवहार या कार्यो या संव्यवहारों की आवली के बारे में या उससे पैदा होने वाले अनुतोष पाने का कोई अधिकार उनके विरुद्ध संयुक्ततः या प्रथकतः अनुकल्पतः वर्तमान होना अभिकथित है, और  
(ख) यदि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथक प्रथक वाद लाए जाते हैं, तो विधि या तथ्य का सामान्य प्रश्न पैदा होता है।

10. उक्त प्रावधान को देखते हुए प्रतिवादी क्रमांक 02 का वादी के अभिवचनों से प्रकरण की विषय वस्तु और विवाद के मूल बिन्दु से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार का कोई संबंध होना परिलक्षित नहीं होता है, ऐसे में प्रतिवादी क्रमांक 02 उक्त प्रकरण के लिए अनावश्यक पक्षकार की श्रेणी में आता है और उसे वादी ने पक्षकार बनाकर प्रकरण में कुसंयोजन का दोष उत्पन्न किया है, किंतु उक्त कुसंयोजन के आधार पर पूरा वाद केवल इसी आधार पर निरस्त या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आदेश 01 नियम 06 सी0पी0सी0 में यह स्पष्ट प्रावधान है, कि कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण विफल नहीं होगा और न्यायालय हर वाद में विवादग्रस्त विषय का निपटारा वहां तक कर सकेगा, जहां तक उन पक्षकारों के जो उसके वस्तुतः समक्ष हैं उनके अधिकारों और हितों का संबंध है।

परन्तु इस न्यायालय की कोई बात किसी आवश्यक पक्षकार के असंयोजन को लागू नहीं होती है और आदेश 01 नियम 10 (2) सी0पी0सी0 के प्रावधान मुताबिक यदि प्रतिवादी के रूप में अनुचित तौर पर किसी व्यक्ति को संयोजित कर दिया है, तो उसका नाम काटा जा सकता है।

11. इस प्रकार उपरोक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है, कि प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 02 अनावश्यक पक्षकार है और उसे बिना आधार के प्रतिवादी क्रं 02 के रूप में पक्षकार बनाकर कुसंयोजन का दोष उत्पन्न किया गया है। इसलिए उक्त वादप्रश्न वादी के विरुद्ध निर्णित करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 02 को प्रकरण से विलोपित किए जाने का निर्देश वादी को दिया जाता है, तदनुसार उक्त वादप्रश्न का निराकरण किया जाता है।

### वादप्रश्न क्रमांक 01 व 02 का विश्लेषण एवं निराकरण

12. उपरोक्त दोनों वादप्रश्नों का प्रमाण भार वादी पर है, इस संबंध में वादी भूरा उर्फ भूरसिंह वा0सा0-01 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में बताया गया है, कि वह जनवरी 2008 से प्रतिवादी क्रं0-01 की मालनपुर

स्थित कैडवरी फैक्ट्री में जिसमें चॉकलेट का निर्माण होता है, नियमित रूप से मजदूरी के लिए आता था और 80/-रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 2400/-रूपये मासिक पारिश्रमिक उसे प्रतिवादी कं0-01 द्वारा मजदूरी के रूप में दी जाती थी। वह तीनों सिफ्टों में मजदूरी करने आता था और पूरी लगन व ईमानदारी से अपना कार्य करता था। पैरा-08 में उसने यह कहा है, कि वह स्वयं कंपनी में काम के लिए गया था और उसे भर्ती कर लिया गया था, कंपनी द्वारा उसे कोई पत्र नहीं दिया गया था, हाजरी कार्ड कंपनी द्वारा मिला था, जो किसी अधिकारी ने उसे दिया था, जो कार्ड उससे रामलखन सुपरवाइजर ने वापिस ले लिया था, जो दिनांक 01/04/08 को घटना घटित होने के बाद 9 तारीख को ले लिया था। यह भी कहा है, कि रामलखन उसके गांव का ही है, जो कैडवरी कंपनी में सुपरवाइजर था, उसकी भी नौकरी छूट गई है। उसका वेतन कंपनी सुपरवाइजर को देती थी और सुपरवाइजर उसे देता था। पैरा-09 में उसने 05-06 महीने मजदूरी करते हुए हो जाना बताया है, इस बात से इन्कार किया है, कि उसने कैडवरी फैक्ट्री में कभी किसी भी सिफ्ट में न तो मजदूरी की और न ही उसे कार्य पर रखा गया। वा0सा0-01 ने पैरा-10 में यह भी स्वीकार किया है, कि दुर्घटना दिनांक 01/04/08 को भी रामलखन उर्फ लाखन कैडवरी फैक्ट्री में कार्य करता था।

13. इस संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है, कि वादी की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य का प्रतिवादी की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है, इसलिए वादी की साक्ष्य को विश्वसनीय माना जाकर दोनों वादप्रश्न प्रमाणित माने जाएं। जबकि प्रतिवादी कं-01 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है, प्रमाण भार वादी पर है, वादी ने प्रतिवादी कं0-01 से श्रमिक मालिक के संबंध होने बावत कोई भी प्रमाण पेश नहीं किया है, इसलिए उसकी साक्ष्य कतई विश्वसनीय नहीं है, जॉब कार्ड भी मिलना बताया है, लेकिन पेश नहीं किया है, इसलिए दोनों वादप्रश्न प्रमाणित नहीं होते हैं और दावा झूठा है।
14. सिविल वाद के संबंध में यह सुस्थापित विधि है, कि वादी को अपना वाद स्वयं के सामर्थ्य से प्रमाणित करना होता है, वह प्रतिवादी की किसी भी प्रकार की कमजोरी जैसे कि साक्ष्य पेश ना करना, प्रतिपरिक्षण ना करना, एक पक्षीय हो जाना या सक्षम प्रतिपरीक्षण करने में विफल रहना आदि शामिल है उसके आधार पर वाद आधार प्रमाणित नहीं माने जा सकते हैं, इस संबंध में न्याय दृष्टांत **दूल्हेसिंह विरुद्ध जुझार सिंह 1995 भाग-01 एम0पी0डब्लू0एन0 शॉर्टनोट 170** अवलोकनीय है।
15. वादी ने अपने अभिवचनों में और मौखिक साक्ष्य में श्रमिक की तौर पर कार्य करने के दौरान दुर्घटना दिनांक 01/04/08 की बताई है और उसके 05-06 महीने पहले से प्रतिवादी कं0-01 की फैक्ट्री में श्रमिक के तौर पर कार्य करना, हाजिरी कार्ड मिलना बताया है। हाजरी का कार्ड किसी सुपरवाइजर रामलखन उर्फ लाखन द्वारा ले लिया जाना कहा है, हाजिरी कार्ड बनने, दुर्घटना के बाद सुपरवाइजर द्वारा ले

लिए जाने का तथ्य महत्वपूर्ण है, किंतु वादपत्र के अभिवचनों में इस बावत कोई भी अभिवचन नहीं किया गया है। ऐसे में हाजिरी कार्ड मिलना, सुपरवाइजर रामलखन द्वारा बाद में वापिस ले लेना, 05-06 महीने कार्य करने की मौखिक साक्ष्य बगैर अभिवचनों के है और विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि बगैर अभिवचनों के प्रस्तुत की गई साक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं होती है, जैसा कि जैसाकि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भी न्याय दृष्टांत **हसमथ राय विरुद्ध रघुनाथप्रसाद 1982 एम.पी.आर.सी. जे. के पेज-01** में प्रतिपादित किया गया है इसलिये ऐसी साक्ष्य भी ग्राह्य योग्य नहीं मानी जा सकती है इसलिए उक्त साक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं है, क्षणिक तौर पर यदि यह मान भी लिया जाए कि कोई हाजिरी कार्ड था और सुपरवाइजर द्वारा बाद में ले लिया था, तो वादी ने रामलखन नामक सुपरवाइजर को अपने ही गांव का होना बताया है, ऐसे में वादी रामलखन नामक व्यक्ति को अपने समर्थन में साक्षी के तौर पर प्रस्तुत कर सकता था, क्योंकि उसकी भी नौकरी छूट जाना वह कहता है, ऐसे में रामलखन की उससे सहानुभूति और हितबद्धता भी दर्शित होती है। किंतु वादी ने रामलखन नामक अपने गांव के उस व्यक्ति को जो कि सुपरवाइजर रहा था, ना तो स्वयं साक्ष्य में पेश किया और ना ही साक्षी के तौर पर उसे जरिए समंस आहूत किए जाने की प्रार्थना की। ऐसे में रामलखन या लाखन नामक उसके गांव का कोई व्यक्ति कैडवरी फैक्ट्री में सुपरवाइजर रहा हो यही स्थापित नहीं होता है, क्योंकि प्रतिवादी क्रं-01 की ओर से वादी के प्रतिपरीक्षण में इस बावत सुझाव भी दिया गया है। ऐसे में अभिलेख पर वादी और प्रतिवादी क्रमांक 01 के मध्य मालिक और श्रमिक के संबंध ही स्थापित नहीं होते हैं, तो जनवरी 2008 से दुर्घटना दिनांक 01/04/2008 की अवधि में वादी का प्रतिवादी क्रं0-01 की मालनपुर स्थित कैडवरी फैक्ट्री में श्रमिक के रूप में कार्यरत रहते हुए तीनों सिफ्टों में प्रबंधक के निर्देशानुसार मजदूरी का कार्य करना कतई प्रमाणित नहीं होता है। फलस्वरूप वादप्रश्न क्रमांक 01 व 02 वादी के विरुद्ध निर्णित कर अप्रमाणित ठहराया जाता है।

### **वादप्रश्न क्रमांक 3ए, 3बी एवं 04 का विश्लेषण एवं निराकरण**

16. तीनों वादप्रश्न मूल दुर्घटना के तथ्यों से संबंधित होने से उनकी साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो और सुविधा की दृष्टि से एक साथ विश्लेषण और निराकरण किया जा रहा है, जिनका प्रमाण भार भी वादी पर ही है।
17. इस संबंध में वादी भूरा उर्फ भूरे सिंह वा0सा0-01 ने इस आशय का मौखिक अभिसाक्ष्य दिया है, कि रोजमर्रा की भांति दिनांक 01/04/08 को सुबह 09 से शाम 05 बजे की पाली में वह फैक्ट्री के अंदर मजदूरी कर रहा था और दिव्यधारा (बेस्टेजमाल) का डिस्पोजल कर रहा था, मशीन खराब हालत में थी, जिसकी उसे जानकारी नहीं थी, जिसके बारे में प्रतिवादी क्रं0-01 के अधीनस्थ अधिकारियों ने भी उसे कोई जानकारी नहीं दी थी। मशीन खराब होने की उसने एवं अन्य श्रमिक पप्पूसिंह ने उपस्थित प्रबंधक से शिकायत की थी, किंतु प्रबंधक ने उनसे कहा, कि वे चिंता ना करें हम यहां खड़े हैं, सभी देख रेख की

जिम्मेदारी उनकी है, फिर बेस्तेज का डिस्पोजल प्रारंभ किया तो कुछ ही समय बाद मशीन का संतुलन बिगड़ गया, जिससे उसका दाहिना हाथ मशीन के चपेट में आ गया और उसके दायें हाथ का पूरा पंजा कुचल गया, पंजे की सभी हड्डी टूट गई, फिर उपस्थित प्रबंधक ने मशीन को बंद किया और उसे पीछे धकेला, जिससे उसका पूरा हाथ क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण स्थाई रूप से विकलांगता उसके पूरे हाथ में आ गई। फिर उसे फैक्ट्री की मार्शल जीप से बिरला अस्पताल ग्वालियर में भर्ती किया था, दिनांक 09/04/08 तक वह भर्ती रहा था, उसके बाद उसे डिस्चार्ज किया गया था।

18. वा0सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य यह भी बताया है, कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद प्रतिवादी उसे आश्वासन (मुगलता) देता रहा, कि वह उसका पूरा इलाज करायेंगे, क्षतिपूर्ति देंगे फैक्ट्री में नौकरी देंगे, जिस पर उसने विश्वास किया, किंतु कोई कार्यवाही नहीं की, ठीक होने के बाद पुनः फैक्ट्री के प्रबंधक से उसने मुआवजा देने और नौकरी देने के लिए कहा था, लेकिन काफी चक्कर लगाने के बाद भी उसकी सुनवाई नहीं हुई, तब उसने प्र0पी0-01 का नोटिस दिया था। कथित दुर्घटना के संबंध में उसने प्र0पी0-03 का सरपंच का प्रमाणीकरण बनवाकर पेश करना भी बताया है।

19. वा0सा0-01 ने प्र0पी0-01 का जो नोटिस भेजा था, उसकी पावती के बारे में जानकारी नहीं होना कहा है, प्र0पी0-03 का प्रमाणपत्र झूठा तैयार कराने से इन्कार किया है, इस बात से भी इन्कार किया है, कि नौकरी का दबाब बनाने के लिए उसने झूठा दावा पेश किया है। पैरा-11 में यह कहा है, कि उसने दाहिने हाथ का पंजा स्थाई रूप से खराब हो जाने पर इलाज कराया था, इलाज संबंधी दस्तावेज पेश नहीं है। उसने रिठौरा गांव में किसी प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराना बताया है, लेकिन उस चिकित्सक का नाम तक उसे मालूम नहीं है, किस नाम से उसका क्लीनिक है, यह भी उसे जानकारी नहीं है, इलाज करने वाले चिकित्सक किस रोग का विशेषज्ञ है वह यह भी नहीं बता सकता है। स्थाई निशक्ता का जिला मेडीकल बोर्ड का कोई प्रमाणपत्र प्राप्त करने का प्रयास उसने नहीं किया, ना दुर्घटना के बारे में पुलिस को कोई रिपोर्ट की, जिसका वह यह कारण बताता है कंपनी वालों ने इलाज करने को कहा था, नौकरी का आश्वासन दिया था, इसलिए कार्यवाही नहीं की। नौकरी का आश्वासन राजू वर्ण्य नामक व्यक्ति द्वारा दिया जाना वह कहता है और इस बात से इन्कार करता है, कि राजू वर्ण्य नामक कोई अधिकारी नहीं है।

20. इस प्रकार से वादी के मूल वाद आधारों के संबंध में जो साक्ष्य है, उसमें सर्वप्रथम तो वादी का प्रतिवादी कं-01 की मालनपुर स्थित कैडवरी फैक्ट्री में मजदूरी या नौकरी करना ही प्रमाणित नहीं हुआ है। वादी के दाहिने हाथ में कोई दुर्घटना के फलस्वरूप चोट आई इसका भी कोई चिकित्सकीय प्रमाण पेश नहीं है, जबकि स्वयं वादी के कहे मुताबिक बिरला अस्पताल ग्वालियर में उसका इलाज हुआ तथा इलाज संबंधी मूल दस्तावेजों के बारे में यह मान लिया जाए कि प्रतिवादी कं-01



जो कि समर्थ पक्षकार है उसने दस्तावेज रख लिए होंगे, तो वादी संबंधित अस्पताल से इलाज संबंधी चिकित्सकीय दस्तावेज की द्वितीय प्रति की मांग कर सकता था, उन्हें सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर पेश कर सकता था या न्यायालय के माध्यम से इलाज संबंधी अभिलेख मंगाए जाने की प्रार्थना कर सकता था, जो उसके द्वारा नहीं की गई, यह उसके आधारों को निर्बलता प्रदान करता है।

21. कथित दुर्घटना के समय वह श्रमिक के रूप में किसी पप्पू सिंह की उपस्थिति भी बताता है, जिसे भी वह अपने समर्थन में साक्षी के तौर पर या तो स्वयं पेश कर सकता था, या न्यायालय द्वारा आहूत करा सकता था, जबकि उसके द्वारा ऐसा भी नहीं किया गया, कौन सा प्रबंधक दुर्घटना के समय उपस्थित था, उसका नाम तक नहीं बताया गया है। वह रिठौरा गांव के किसी प्राइवेट डॉक्टर से स्वयं का इलाज कराना कहता है, लेकिन उसे उक्त चिकित्सक का नाम भी पता नहीं है, किस नाम से उसका अस्पताल है, यह भी उसे मालूम नहीं है, वह चिकित्सक किस रोग का विशेषज्ञ है इसके बारे में भी उसे कोई जानकारी नहीं है। आम तौर पर ग्रामीण अंचल में विशेषज्ञ चिकित्सक व्यवसाय नहीं करते हैं, जबकि वादी अपना दाहिना हाथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर स्थाई रूप से निशक्त हो जाना बताता है, किंतु उसने जिला मेडीकल बोर्ड से निशक्तता का कोई प्रमाणपत्र ना तो प्राप्त किया, ना प्राप्त करने की कोई कार्यवाही की। इससे दिनांक 01/04/08 को वादी के साथ श्रमिक के तौर पर कोई दुर्घटना घटित हुई यही प्रमाणित नहीं होता है। वादी अभिवचनों और साक्ष्य में एक ओर तो दाहिने हाथ में स्थाई विकलांगता आना बताता है और दूसरी ओर ठीक हो जाने पर प्रतिवादी क्रं-01 की फैक्ट्री में मुआवजा और पुनः नौकरी की मांग करते हुए जाना कहता है, यह भी विरोधाभासी अभिवचन और साक्ष्य है, यदि दाहिना हाथ पूरी तरह खराब हो गया तो फिर ठीक हो जाने की बात गलत है, अर्थात् वादी स्वयं ही अपने आप में निश्चित नहीं है, कि वह निशक्त है, या स्वस्थ है, जिससे उसके आधार कपोल कल्पित होने संबंधी प्रतिवादी के खण्डन तर्क को बल प्रदान करते हैं।

22. वा0सा0-01 के मुताबिक उसे पुनः नौकरी का आश्वासन किसी राजू वार्ष्णेय व्यक्ति द्वारा प्रतिवादी क्रं0-01 के अधिकारी की हैसियत से देना कहा है, लेकिन इससे प्रतिवादी क्रं0-01 द्वारा इन्कार किया गया है। अभिलेख पर ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं है, कि प्रतिवादी क्रं-01 की कंपनी में राजू वार्ष्णेय नामक कोई कार्मिक प्रबंधक कार्यरत रहा हो, ऐसे में वादी का कोई भी वाद आधार सुदृढ़ साक्ष्य से समर्थित नहीं है। प्र0पी0-03 का जो सरपंच जो प्रमाणीकरण वादी ने व्यक्तिगत हैसियत से तैयार करा कर पेश किया है, उसका कोई विधिक मूल्य नहीं है, ना ही पंचनामे में उल्लेखित किसी व्यक्ति का कोई समर्थन साक्ष्य है और पंचनामा अकिंचन के बिन्दु संबंधी है, जो विषय वस्तु से संबंधित भी नहीं है। ऐसे में वादी के मूल वाद आधार कतई स्थापित नहीं होते हैं। फलतः वादप्रश्न क्रमांक 03ए, 03बी एवं 04 भी वादी के विरुद्ध निर्णित कर अप्रमाणित ठहराते हुए, यह निष्कर्षित किया जाता है, कि वादी के साथ प्रतिवादी क्रमांक 01 की फैक्ट्री में कोई दुर्घटना नहीं हुई।

**वादप्रश्न क्रमांक 05 एवं 07 का विश्लेषण एवं निराकरण**

23. दोनों वादप्रश्न सहायता संबंधी है इसलिए उनका एक साथ विश्लेषण और निराकरण किया जा रहा है।
24. इस संबंध में वादी भूरा उर्फ भूरेसिंह वा0सा0-01 ने दुर्घटना में दाहिना हाथ क्षतिग्रस्त हो जाने पर उपचार में 25,000/-रुपये खर्च करना बताया है तथा स्थाई विकलांगता के लिए 1,00,000/-रुपये की क्षतिपूर्ति चाही है एवं हाथ खराब हो जाने से भविष्य की उदर पूर्ति के एवज में 3,00,000/-रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए साक्ष्य दी है, किंतु वादी का प्रतिवादी क्रं-01 के अधीन श्रमिक होना ही प्रमाणित नहीं हुआ है, ना ही प्रतिवादी क्रं-01 की मालनपुर स्थित कैडवरी फैक्ट्री में वादी के साथ कोई नियोजन के दौरान दुर्घटना होना प्रमाणित है, तथा इलाज में 25,000/-रुपये खर्च होने का ना तो कोई विवरण दिया है ना ही प्रमाण दिया है, तथा स्थाई विकलांगता के लिए 1,00,000/-रुपये की क्षतिपूर्ति भी काल्पनिक है। भविष्य की उदरपूर्ति के लिए 3,00,000/-रुपये की मांग भी काल्पनिक है तथा वादी का मूल आधार ही प्रमाणित नहीं है। इसलिए वादी प्रतिवादी क्रं0-01 से उक्त प्रस्तुत वाद के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति राशि या अन्य सहायता प्राप्त करने का कतई पात्र नहीं है। वादी का वाद विशुद्ध रूप से काल्पनिक पाया जाता है। परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार योग्य ना होने से बाद विचार उक्त वादप्रश्नों को भी वादी के विरुद्ध निर्णित करते हुए खारिज किया जाता है।
25. चूंकि वादी का वाद अकिंचन वाद के रूप में जांच उपरांत ग्रहण किया गया था, ऐसी स्थिति उभय पक्ष अपना-अपना प्रकरण व्यय स्वयं वहन करेंगे, जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किए जाने पर या तालिका मुताबिक जो भी कम हो उसे जोड़ा जाए।  
तदनुसार वाद खरिजी की डिक्री तैयार की जावे।

दिनांक— **22 अक्टूबर 2016**

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व  
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

**(पी0सी0आर्य)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

**(पी0सी0आर्य)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड